



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.06.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी विनोद कुमार पुत्र स्व0 धनपाल निवासी ग्राम बाघू थाना व जिला बागपत ने एक प्रार्थना पत्र अभियुक्त गण 1. विकास उर्फ विककी पुत्र नवाब, 2. बिजन उर्फ बिजेन्द्र पुत्र कृष्णपाल, 3. रमन पुत्र ऋषिपाल, 4. सजन पुत्र कृष्णपाल, 5. नवाब पुत्र रगबर, 6. राजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासी गण ग्राम बाघू थाना व जिला बागपत 7. जितेन्द्र उर्फ जित्तू पुत्र नौराज निवासी गायत्रीपुरम बागपत 8. शेरसिंह उर्फ कपिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी करबा बागपत थाना व जिला बागपत, 9. दीपक चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जगबीर



निवासी पक्का घाट बागपत, 10. सुगम सांगवान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सांकलपूठठी जिला बागपत व 2-3 अज्ञात बदमाश द्वारा भट्टे की मिट्टी से भरे हाईवा ने प्रार्थी की ब्रेजा कार में टक्कर मार देना शिकायत करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपने चेहरे पर कपड़ा बांध कर अपने हाथों में लिये हथियारों पिस्टल, रिवाल्वर से प्रार्थी व प्रार्थी के लडको को जान से मारने की नीयत से अन्धाधुंध फायरिंग करना जिसमें प्रार्थी का लडका जतिन गोलियां लगने से गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा अभियुक्तगण हाथों में लिये हॉकी व डण्डो से अभिषेक के साथ भी मारपीट करना जिसमें अभिषेक गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा उसका दांत भी टूट जाना । इस

सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस के बरामद हुए हैं।

नोट-उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बरामदगी से धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि० की वृद्धि की गयी हैं ।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता-

विजन उर्फ बिजेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर ।
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।

अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-का० 129 दुष्यन्त थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 11.07.2026

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अकरम पुत्र अनीश उर्फ नीशु
निवासी मौ0 नई बस्ती मुगलपुरा
कस्बा बागपत थाना कोतवाली

बागपत जनपद बागपत उम्र 27 वर्ष

2-काला उर्फ अफजाल पुत्र इस्लाम
उम्र 28 वर्ष निवासी नई बस्ती थाना

कोतवाली बागपत जनपद बागपत मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत

3-साजिद पुत्र उमरद्दीन निवासी मौहल्ला माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली
बागपत जनपद बागपत उम्र 31 वर्ष

4-अरविन्द पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम चान्दनहेडी थाना छपरौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (03 वारंटी)

2- थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)

